

क्रम-संख्या-1 (क-1)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्ल्यू/एन०पी०-91/2008-10

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 जनवरी, 2009
पौष 11, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ

संख्या 1/24ऊ०नि०नि०प्र०/09
लखनऊ, 1 जनवरी, 2009

अधिसूचना

प० आ०-2

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग, करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 123/प्रको०/पी/99-24, दिनांक 1 फरवरी, 1999 का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निवृद्धन और शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008

1-(1) यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008' कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषा

2-जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;
- (ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य धारा 82 के अधीन गठित "उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग" से है;
- (घ) "संयोजक" का तात्पर्य ऊर्जा विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव से है;
- (ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;
- (च) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;
- (छ) "चयन समिति" का तात्पर्य धारा 85 के अधीन गठित चयन समिति से है;

सदस्यों के चयन की शक्ति

3-(1) आयोग का सचिव, सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाये जाने के कारण हुई रिक्ति की स्थिति में बिना किसी विलम्ब के और अधिवर्षिता या कार्यकाल समाप्त होने के कारण हुई किसी रिक्ति की स्थिति में ऐसी अधिवर्षिता या कार्यकाल की समाप्ति के दिनांक के सात मास पूर्व राज्य सरकार को लिखित रूप से सूचित करेगा।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) में निर्दिष्ट या अन्यथा रिक्ति की जानकारी होने की सूचना प्राप्त होने पर रिक्ति के लिए धारा 85 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर चयन समिति को संदर्भित करेगी।

(3) किसी सदस्य के पद पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिये संयोजक विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, औद्योगिक संगठनों और विद्युत उत्पादन, परीक्षण, वितरण और प्रदाय में लगे हुए अन्य संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और उच्च न्यायालय को अध्यक्षता भेजेगा और सरकारी गजट में रिक्ति अधिसूचित करके पात्र व्यक्तियों से भी सीधे आवेदन पत्र मांगेगा। पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र को सीधे या अधिकारी या प्राधिकारी जिसके अधीन वह तत्समय कार्य कर रहा हो, के माध्यम से भेज सकता है।

(4) संयोजक ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्होंने सदस्य के पद के लिए सम्यक रूप से आवेदन किया है, एक सूची तैयार करेगा और उसे ऐसे अभ्यर्थियों से सम्बन्ध रखने वाले समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(5) अभ्यर्थियों के चयन के लिए मापदण्ड ऐसा होगा जैसा समय-समय पद चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाय।

(6) किसी सदस्य का चयन, चयन समिति के बहुमत के विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।

(7) चयन समिति, अभ्यर्थियों में से चयनित दो नामों की एक सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

(8) राज्य सरकार चयन सूची के प्राप्त होने दिनांक से तीस दिन के भीतर चयनित अभ्यर्थियों के नामों को गजट में प्रकाशित करेगी।

अध्यक्ष की नियुक्ति

4-धारा 84 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो राज्य सरकार सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

पद और गोपनीयता की शपथ

5-आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने के पूर्व इस नियमावली में संलग्न प्रपत्रों में राज्यपाल या उनकी और से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

6-अध्यक्ष का वेतन भारत के चुनाव आयुक्त के समकक्ष तथा सदस्य का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव समकक्ष होगा :

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार से सेवानिवृत्त हुआ हो, वेतन ऐसी सेवानिवृत्त के समय उसे भुगतान किये गये या दिये वेतन से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ की प्राप्ति करता है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से, पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति का सातशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा।

7-अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः भारत के चुनाव आयुक्त एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के अनुरूप मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

8-(क) अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा सदस्य राज्य सरकार के प्रमुख सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य प्रकार के किराया मुक्त सरकारी आवास का हकदार होगा।

(ख) जब अध्यक्ष या सदस्य को खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या वह स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता है तो उसे क्रमशः राज्य सरकार के मुख्य सचिव या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को अनुमन्य प्रतिमास मकान किराया भत्ता के रूप में भुगतान किया जाय।

(ग) जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है, वहां वह, यथास्थिति, लाइसेन्स फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार उसे वेदखल किया जा सकेगा।

9-अध्यक्ष या सदस्य इस निमित्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजन की यात्राओं के लिए स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा।

10-अध्यक्ष या सदस्य जब दौरे या यात्रा पर (जिसके आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा या आयोग में उसकी कार्यावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर को की गयी यात्रा भी सम्मिलित है) उन्हीं मापक्रमों और उन्हीं दरों पर जैसा हाईकोर्ट जजेज (ट्रिवेलिंग एलाउंस) रूल्स, 1956 में विहित है या जैसा कि अध्यक्ष के मामले में भारत के चुनाव आयुक्त या सदस्य के मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनुमन्य हो, जो भी उच्च हो, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक सामानों के परिवहन और अन्य तत्सदृश्य मामलों के लिए हकदार होगा।

11-अध्यक्ष या सदस्य चिकित्सा उपचार और अस्पताल की सुविधाओं के उसी प्रकार हकदार होंगे कि जैसा कि उ०प्र० मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1946 और समय-समय पर इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों में यथा उपबन्धित है।

12-अध्यक्ष और सदस्य पांच हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता के हकदार होंगे।

13-(1) अध्यक्ष या सदस्य निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक छः मास की पूर्ण सेवा के लिए पन्द्रह दिन की दर पर उपाजित अवकाश।

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या निजी कार्यकलाप पर अर्द्ध वेतन छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन, उपाजित छुट्टी के दोसरे अनुमन्य छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगा।

(ग) सदस्य के विवेक पर अर्द्ध वेतन पर छुट्टी को पूर्ण वेतन की छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते यह चिकित्सा आधार पर लिया गया हो और समक्ष चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो।

(घ) किसी एक पदाधि में वेतन भत्ता के बिना एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक की असाधारण छुट्टी।

(2) आयोग में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष या सदस्य अपने खाते में जमा उपाजित अवकाश के सम्बन्ध में छुट्टी वेतन के बराबर नगद प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते कि इस उपनियम के अधीन नकदीकरण करायी गयी छुट्टी की मात्रा और कोई नकदीकरण छुट्टी, जिसके लिए वह आयोग में अपनी नियुक्त के पूर्व हकदार था, भी है, मिलाकर दो सौ चालीस दिन से अधिक नहीं हो।

(3) सदस्यों को छुट्टी स्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल होंगे।

अवकाश यात्रा सुविधा

14-अध्यक्ष या सदस्य उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापक्रमों पर और उन्हीं शर्तों पर क्रमशः भारत के चुनाव आयुक्त या राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष अवकाश यात्रा सुविधा के हकदार होंगे।

पेंशन

15-अध्यक्ष और सदस्य पेंशन के हकदार होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई पेंशन देय नहीं होगी,

(एक) यदि उसने दो वर्ष से कम की सेवा की हो; या

(दो) यदि उसे इस सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग के किसी पद से हटा दिया गया हो :

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को देय पेंशन की कुल धनराशि किसी पेंशन की धनराशि के साथ (जिसमें पेंशन की सारांशीकृत भाग भी है।) यदि कोई हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सरकारी सेवक के रूप में आयोग में अपनी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसे अनुमन्य हो, वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या भारत सरकार के किसी सचिव को अनुमन्य पेंशन की अधिकतम धनराशि, इसमें जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी।

अवशिष्ट उपबन्ध

16-अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तों का, जिनके लिए इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबन्ध उपलब्ध नहीं है, क्रमशः भारत के चुनाव आयुक्त या राज्य सरकार के मुख्य सचिव पद तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारण किया जायेगा।

अध्यक्ष या सदस्य का पदग्रहण

17-कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद या किसी अन्य सेवा से, जिसमें वह सेवा कर रहा था, प्रदत्याग या न कर दिया हो या वह सेवा निवृत्त न हो गया हो।

नियमों को शिथिल करने की शक्ति

18-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस नियमावली के किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में असम्यक कठिनाई है, वहां वह आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण तरीके से कार्यवाही के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
वी०एन०गर्ग,
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र-1

(नियम-5 देखिये)

(आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए शपथ-पत्र)

मैं _____ आयोग का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर ईश्वर के नाम से/सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और निर्णय से, बिना डर या पक्षपात, स्नेह या द्वेष भावना के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा।

प्रपत्र-2

(नियम 5 देखिये)

(आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की गोपनीयता का शपथ-पत्र)

मैं _____ आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर ईश्वर के नाम से/सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं किसी मामले को जो मेरे विचारण के लिए लाया जायेगा, या उक्त आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में ज्ञात होगा, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक के सिवाय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/XXIV-U.N.N.P.-2009, dated January 1, 2009:

No. 1/XXIV-U.N.N.P.-2009

Dated Lucknow, January 1, 2009

In exercise of the powers under sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. 123/Prako/P/99-24, dated February 1, 1999, the Governor is pleased to make the following rules to regulate the salary, allowances and other terms and conditions of the Chairperson and the members of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission :-

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHAIRPERSON AND MEMBERS) RULES, 2008

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment and Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2008. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires-

Definitions

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003;
- (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission ;
- (c) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under section 82 ;
- (d) "Convener" means the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Energy Department.
- (e) "Member" means a Member of the Commission ;
- (f) "Section" means a section of the Act ;
- (g) "Selection Committee" means the Selection Committee constituted under section 85 ;

Manner of
selection of
Members

3. (1) The Secretary of the Commission shall intimate in writing to the State Government in the case of the vacancy occurring by reason of death, resignation or removal without any delay and in the case of a vacancy occurring by reason of superannuation or end of the tenure of a member, before seven months of the date of such superannuation or end of tenure.

(2) The State Government shall on receiving the intimation referred to in sub rule (1) or otherwise on the knowledge of the vacancy, make a reference to the Selection Committee within the period specified in sub-section (2) of section 85 for filling the vacancy.

(3) For the purpose of selecting suitable person to the Office of a Member, the Convener shall send requisition to various State Governments and the Central Government Departments, Public and Private Undertakings, Industrial Organisations and other Organisations engaged in generation, transmission, distribution and supply of electricity, financial institutions, educational institutions and to the High Court and shall also invite applications directly from eligible persons by notifying the vacancy in the *Gazette*. The eligible persons may send their applications directly or through the officer or Authority under whom he is for the time being working.

(4) The Convener shall prepare a list of candidates who have duly applied for the Office of a Member and place the same before the Selection Committee with all relevant records pertaining to such candidates.

(5) The Criteria for selection of candidates shall be such as may be determined by the Selection Committee from time to time.

(6) Selection of a Member shall be made by majority decision of the Selection Committee.

(7) Selection Committee shall recommend a panel of two names of short-listed candidates in order of merit and forward the same to the State Government for appointment.

(8) The State Government shall publish the names of the selected candidates in the *Gazette* within 30 days from the date of receipt of selection list.

Appointment of
the Chairperson

4. Subject to the provisions of sub-section (2) of section 84, the State Government shall appoint from amongst the Members, one Member as the Chairperson whenever the vacancy occurs in the post of the Chairperson.

Oath of Office and
Secrecy

5. Any person appointed as the Chairperson or a Members of the Commission shall before entering upon his office, make and subscribe before the Governor or some person appointed in that behalf by him an oath of office and of secrecy in the Forms appended to these rules.

Pay

6. The salary of the Chairperson shall be the same as that of an Election Commissioner of India and of the Member shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government :

Provided that the salary of a person appointed as Chairperson or a Member who has retired as a Judge of the High Court or who has retired from Service under the Central or a State Government shall not be less than the salary paid or payable to him at the time of such retirement :

Provided further that a person referred to in the first proviso who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension including commuted portion of pension, if any.

7. The Chairperson or a Member shall be entitled to Dearness Allowance and City Compensatory Allowance same as the Election Commissioner of India and Chief Secretary of the State Government respectively.

Dearness Allowance and City Compensatory Allowance

8. (a) The Chairperson or a Member shall be entitled to a rent free accommodation of the type admissible to the Chief Secretary in the case of Chairperson and the Principal Secretary in the case of a Member.

Accommodation

(b) When the Chairperson or a Member is not provided with or does not avail himself of the accommodation referred to in clause (a) he may be paid House Rent Allowance every month as is admissible to the Chief Secretary in the case of Chairperson and a Principal Secretary in the case of a Member.

(c) Where the Chairperson or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay license fee or penal rent, as the case may be, and also liable to eviction in accordance with the law for the time being in force.

9. The Chairperson or a Member shall be entitled to the facility of staff car for a journey for official and private purpose in accordance with the orders of the State Government in this behalf.

Conveyance

10. The Chairperson or a Member while on tour or on journey (including the journey undertaken to join the Commission or on expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) shall be entitled to the traveling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Traveling Allowances) Rules, 1956 or as are admissible to an Election Commissioner of India in case of the Chairperson an Chief Secretary of the State Government in the case of a Member, whichever are better.

Traveling Allowances

11. The Chairperson or a Member shall be entitled to Medical Treatment and Hospital facilities as are provided in the Uttar Pradesh Medical Attendance Rules, 1946 and the orders of the State Government issued in this behalf from time to time.

Facilities for Medical Treatment

12. The Chairperson or a Member shall be entitled to a sumptuary allowance of five thousand rupees per month.

Sumptuary Allowance

13. (1) The Chairperson or a Member shall be entitled to leave as follows.

Leave

(a) earned leave at the rate of fifteen days for every completed six month of service;

(b) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(c) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Member provided it is taken on medical grounds and is supported by a Medical Certificate from the competent Medical authority;

(d) Extraordinary leave without pay and allowance up to a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.

(2) On the expiry of his term of office in the Commission, the Chairperson or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit, provided that the quantum of the leave encashed under this sub rule together with any leave encashment to which he was entitled prior to his appointment in the Commission shall not exceed two hundred forty days.

(3) The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to the members and the Governor shall be the Authority competent to sanction leave to the Chairperson.

Leave Travel Allowance

14. The Chairperson or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to an Election Commissioner of India in the case of Chairperson and the Chief Secretary in the case of a Member.

Pension

15. The Chairperson and the members shall be entitled to pension provided that no such pension shall payable,

(i) if he has put in less than two years of service; or

(ii) if he has been removed from an office in the Commission; as per the provisions of the Act:

Provided further that the aggregate amount of the pension payable to any person under this rule together with amount of any pension (including commuted portion of pension), if any, admissible to him in respect of the service rendered by him prior admissible to him in respect of the service rendered by him prior to his appointment in the Commission as a Judge of the High Court or a Government Servant shall not exceed the maximum amount of pension admissible to a Judge of the High Court or a Secretary to the Government of India, whichever is more.

Residuary Provisions

16. The conditions of service of the Chairperson or a Member for which no express provisions is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to an Election Commissioner of India in the case of Chairperson and the Chief Secretary in the case of Member.

Assuming of office of Chairperson or Member

17. No person shall assume the office of the Chairperson or a Member, as the case may be, unless he has resigned or retired from, as the case may be, the judgeship of the High Court, or any service in which he was serving.

Powers to relax rules

18. Where the State Government is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order relax the requirements of that rule to such extent and subject to such condition as it may consider necessary for dealing with the case in just and equitable manner.

By order,
V. N. GARG,
Pramukh Sachiv.

FORM-I

(See rule 5)

(Form of an oath of office for Chairperson or Member of the Commission)

I, _____ having been appointed as Chairperson/Member of the Commission do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairperson/Member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill will.

FORM-II

(See rule 5)

(Form of an oath of secrecy for Chairperson / Member of the Commission)

I, _____ having been appointed as Chairperson/Member of the Commission do swear in the name of God/solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration shall become know to me as Chairperson/Member of the said commission except as may be required for the due discharge of my duties as Chairperson/Member.